संख्या–769/2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव, राजस्व/पंचायती राज/ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 29 अप्रैल, 2021

विषयः– कोविड–19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/ 2020–DM-I(A), दिनांक 26.04.2021 द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कोविड–19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/ 2020–DM-I(A), दिनांक 26.04.2021 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है ।

2. अवगत कराना है कि हाल ही के दिनों कोविड–19 के मामलों में उच्च पॉजिटिव दर के साथ एक तीव्र वृद्धि को अवलोकित किया गया है। मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि/लहर को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि लहर प्रभावित क्षेत्रों में कड़े कोविड प्रबन्धन एवं नियंत्रण उपायों को लागू किया जाय ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके।

3. इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या– 600 / 2021–सी0एक्स0–3 दिनांक 26.03.2021 के क्रंम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आग्रिम आदेशों तक निम्नलिखित प्रभावी कदम उठाये जाये एवं उनका अनुपालन कराया जायेः–

<u>वायरस संचरण की गति को समझना</u>

वायरस संचरण मानवीय सम्पर्क के माध्यम से फैलता है। वायरस संचरण को रोकने के लिए आवश्यक रणनीतियों में न केवल वायरस के प्रसार को प्रतिबन्धित करना शामिल है बल्कि मानवीय सम्पर्क को भी प्रतिबन्धित करना शामिल है।

विस्तृत रूप में रणनीतियॉ निम्नलिखित हैंः–

1. व्यक्तिगत क्रियाएं जैसे मास्क पहनना, दूसरों से 06 फीट की दूरी बनाये रखना, अपने हाथों को समय–समय पर सेनेटाइज करना और किसी भी भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में शामिल न होना।
2. वायरस को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित जनस्वास्थ्य उपाय हैंः–

- ऐसे व्यक्ति जिनके पॉजिटिव होने का संदेह है तथा सार्स–कोव–टू पॉजिटिव व्यक्ति, SARI मामलों, फ्लू जैसे लक्ष्णों को प्रकट करने वाले व्यक्तियों इत्यादि का परीक्षण कर क्वारंटाइन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे इकट्ठे न हो और इस प्रकार वे संक्रमण को फैलाने में सक्षम न हो सके।

- उन समस्त पॉजिटिव व्यक्तियों तथा उनके सम्पर्क में आने अन्य लोगों को क्वारंटाइन, आइसोलेट किये जाय तथा उनका परीक्षण किया जाय।
- ऐसे स्थान जहॉं एक समूह के रूप में ऐसे मामले पाये जाते हैं तथा जहॉं व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से उनकी मदद नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में एक निश्चित सीमा तथा कड़े नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कन्टेनमेन्ट जोन का निर्माण किया जाय ताकि संक्रमण को बाहर फैलने से रोका जा सके। यह समस्त विश्व में पालन किये जाने वाले रणनीतियों के अनुरूप है साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के SOP में भी इस बात का उल्लेख किया गया है अर्थात् एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि शहर या जिला अथवा इस प्रकार के अन्य स्थान जहॉं ऐसे मामले बहुत अधिक हैं और लगातार उनमें बढ़ोत्तरी हो रही है, को भौतिक रूप से कन्टेन (contain) किये जाय। हालांकि सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति होगी।

3. साक्ष्य आधारित निर्णयः बड़े कन्टेनमेन्ट जोन का निर्माण कहॉं और कब किया जाना है, यह निर्णय साक्ष्य और परिस्थितियों के बेहतर विश्लेषण के पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि प्रभावित जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार, अस्पताल अवसंरचना, मानव शक्ति और प्रवर्तित सीमायें आदि।
4. हालांकि इन उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारदर्शी उद्देश्यपूर्ण और महामारी को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित व्यापक आधार वाली रूप– रेखा प्रदान किये जायः–

क्रमांक	पैमाना	प्रारम्भ
1	परीक्षण सकारात्मकता	पिछले एक सप्ताह में 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक सकारात्मक मामलों में।
	अथवा	
2	बेड उपलब्धता	बेड 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन समर्थित अथवा आई. सी.यू. बेड

5. ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जहॉं गहन कार्यवाही तथा स्थानीय नियंत्रण को लागू किया जाना आवश्यक है, को भली–भॉंति समझा जाय। जैसेकि शहर/कस्बा/कस्बों का हिस्सा/जिला मुख्यालय/अर्द्ध शहरी इलाके/नगर पालिका वार्ड पंचायत क्षेत्र इत्यादि।
6. गहन कार्यवाही और स्थानीय नियंत्रण के लिए चिन्हित क्षेत्रों पर हस्तक्षेप के निम्नलिखित रणनीतिक क्षेत्र के तहत मुख्य रूप से ध्यान दिया जाय–

A- <u>कन्टेनमेन्ट</u>

i. प्रसार को रोकने के लिए कन्टेनमेन्ट क्षेत्रों पर फोकस प्रमुख दृष्टिकोण होगा।

ii. **रात्रि कर्फ्यू** :– रात्रि के दौरान व्यक्तियों के आवागमन को, सिवाय आवश्यक क्रियाओं के, सख्ती से प्रतिबन्धित किया जायेगा। कानून के उचित प्रावधानों के अन्तर्गत जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू की अवधि निर्धारित करने और आदेशों को जारी करने का निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जायेगा।

iii. व्यक्तियों के एक समूह के रूप में इकट्ठे होने जो कि कोविड–19 वायरस के प्रसार का एक मात्र माध्यम है, को प्रतिबन्धित करते हुए वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जाय।

iv. सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/उत्सव से संबंधित तथा अन्य भीड़ तथा सभाओं को प्रतिबन्धित किया जाय।

v. शादी समारोह (50 व्यक्तियों की उपस्थिति) और दाह संस्कार/अन्तिम संस्कार (20 व्यक्तियों की उपस्थिति) को अनुमति दिया जाय।

vi. समस्त शॉपिंग काम्पलेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेन्ट्स एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बन्द किया जाय।

vii. आवश्यक सेवायें एवं गतिविधियॉ जैसे–स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, आम परिवहन के निर्धारित संचालन (आवश्यक सेवायें और गतिविधियॉ जो सुचारू रूप से संचालित किया जाना आवश्यक है) को जारी रखा जाय। इस प्रकार की सेवायें सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी।

viii. सार्वजनिक परिवहन (रेलवे, मेट्रों, बसें, कैब्स) अपने अधिकतम् 50% क्षमता के साथ संचालित किये जाय।

ix. आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ–साथ अन्तर्राज्यीय एवं अन्तःराज्यीय में होने वाले संचलन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

x. समस्त कार्यालय सरकारी और निजी दोनों अपने अधिकतम् 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे।

xi. समस्त औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, सरकारी और निजी दोनों अपने कार्य बल के साथ भौतिक दूरी मानदण्डों (physical distancing norms) के अनुरूप कार्य करेंगे। साथ ही उनका समय–समय पर RAT (Rapid Antigen Test) के माध्यम से (ऐसी स्थिति में जब कोई वयक्ति फ्लू जैसे लक्षणों के साथ चिन्हित किया जाता है) परीक्षण किया जायेगा।

xii. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पूर्व में जारी किये गये SOP जिसमें प्रशिक्षण मैनुअल सहित निगरानी दल और पर्यवेक्षक शामिल हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध हो और उनका पालन किया जाय।

xiii. स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाय तथा ऐसे क्षेत्रों को आच्छादित किया जाय और संचरण की सम्भावना को कम करते हुए निर्णय लिया जाय।

xiv. उपर्युक्त प्रतिबन्ध आगामी 14 दिनों तक लागू रहेंगे।

xv. कन्टेनमेन्ट क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व एक सार्वजनिक घोषणा की जाय और उसके औचित्य को रेखांकित करते हुए उसी तरह के प्रतिबन्ध लागू किये जाय जो स्थिति की गम्भीरता को उजागर करता है।

xvi. सामुदायिक स्वयं सेवक, नागरिक समाज संगठनों, पूर्व सैनिक और स्थानीय NYK/NSS केन्द्रों आदि को कन्टेनमेन्ट कार्यवाही के सतत् प्रबन्धन के लिए शामिल किया जाय। साथ ही समुदाय में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन के साथ–साथ टीकाकरण को भी बढ.ावा दिया जाय।

B– <u>परीक्षण एवं निगरानी</u>:– कोविड–19 के प्रबंधन के लिए कोविड के उपयुक्त व्यवहारों के कियान्वयन तथा टेस्ट–ट्रैक–ट्रीट–टीकाकरण की रणनीति जिलों में जारी रहेगी।

i. पर्याप्त परीक्षण एवं डोर–टू–डोर मामलों के जॉच तथा इन उद्श्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की टीम को निर्मित किया जाय।

ii. इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों के मामलों का नैदानिक परीक्षण करने हेतु एक योजना बनायी जाय और <u>आरएटी</u> के माध्यम से <u>सारी</u> पीरक्षण किये जाएं। सार्स–को–टू संक्रमणके लिए निगेटिव पाये गये व्यक्ति जिनमें समस्त लक्ष्ण मौजूद हैं का पुनः परीक्षण आर–टी–पीसीआर के माध्यम से किया जाए।

iii. कोविड के उपयुक्त व्यवहारों के कडाई पूर्वक अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए साथ ही संगठन एवं कड़े नियामक ढांचे एवं सामुदायिक आधारित भागीदारी के माध्यम से जागरूकता पैदा किया जाए।

C– <u>नैदानिक प्रबन्धन</u>

i. स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया जाए ताकि वर्तमान और अनुमानित मामलों को प्रतिबन्धित किया जा सके (आगामी एक माह में) और आवश्यक कार्यवाही को प्रारंभ किया जाए। यह सुनिश्चित करते हुए कि पर्याप्त आक्सीजन समर्थित बेड,आईसीयू बेड, वेंटीलेटर, एंबूलेंस इत्यादि आवश्यक और उपलब्ध हों साथ ही पर्याप्त क्वारंटीन सुविधाओं को पुनः प्रारंभ किया जाए।

ii. सरकारी, निजी स्वास्थ्य सुविधाएं जिसमें कि केन्द्रीय सरकार की अस्पताल, रेलवे कोच अस्थायी रूप से शामिल हों इसका लाभ उठा सकें।

iii. इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि होम आइसोलेशन के लिए बनाये गये नियम से संतुष्ट व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाए। इस प्रकार के कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण किया जाए और काल सेंटर के साथ नियमित रूप से निगरानी टीम के भ्रमण के साथ ऐसे मकानों का निरीक्षण किया जाए।

iv. होम आइसोलेशन में रहने वाले समस्त रोगियों के लिए एक अनुकूल किट का प्राविधान किया जाए जिसमें क्या करना है–क्या नहीं करना है का विस्तृत उल्लेख हो जिसका पालन उनके द्वारा किया जाए।

v. उच्च जोखिम मामलों के लिए विशिष्ट निगरानी की जाए और उन्हें समय–समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ प्रतिस्थापित किया जाए। उसी प्रकार बुजुर्ग और सम्पर्क में आये सकरात्मक मामलों को क्वारंटीन केन्द्रों में स्थानान्तरित किया जाए और उनकी निगरानी की जाए।

vi– कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों के लिए एक सीनियर जिला स्तरीय अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया जाए और मरीजों के निर्बाध स्थानान्तरण के लिए एक तंत्र उनके लक्ष्ण के अनुसार प्रांसगिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए।

vii. इस प्रकार के उद्देश्यों करी पूर्ति के लिए एंबुलेंस की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।

viii. आक्सीजन, अन्य संबंधित वस्तुएं, दवाएं आदि की उपलब्धता में एक समन्वय स्थापित किया जाए तथा उनके तर्कसंगत उपयोग हेतु राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

ix. स्वीकृत मामलों के लिए आक्सीजन थेरेपी, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आक्सीजन के तर्कसंगत प्रयोग के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए।

x. अन्वेषी दवाओं (रेमिडिसीवर/टोसीलिजुमब आदि) का भी प्रयोग भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किये गये नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकाल/सुझाव का सख्ती से पालन कराते हुये किया जाए।

xi. सुविधा आधरित मामले एवं मृत्यु को दैनिक आधार पर जिला मजिस्ट्रे/निगम आयुक्त के द्वारा विश्लेषित किया जाए। अस्पतालों एवं समुदाय में होने वाली मौंतों के लिए मृत्यु परीक्षण किया जाए ताकि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं/अस्पतालों को समर्थित पर्यवेक्षण प्रदान किया जा सके।

D– <u>टीकाकरण</u>:–टीकाकरण के लिए पात्र आयु समूह के व्यक्तियों के 100 प्रतिशत टीकेकरण को सुनिश्चित किया जाए और मौजूदा केन्द्रों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए।

E– <u>सामुदायिक सहभागिता</u>:–

i. समुदाय के लिए पर्याप्त अग्रिम सूचना को सुनिश्चित किया जाए तथा कड़े रोकथाम कार्यों की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि उनकी भागेदारी और समर्थन को सुनिश्चित किया जा सके।

ii. बड़े पैमाने पर कंटेनमेंट की घोषणा किये जाने के पूर्व लोगों को आवश्यक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समय दिये जाएं।

iii. समुदाय में भ्रामक सूचना एवं डर को नजरअंदाज किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएं।

iv. एक सकारात्मक वातावरण के निर्माण तथा सतत् वार्ता के लिए स्थानीय स्तर के एनजीओ/सीबीओ/सीएसओ, मत निर्माता एवं विषय विशेषज्ञ के साथ एक निरंतर संवाद को स्थापित किया जाए।

v. बीमारी के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को व्यापक महत्व दिया जाए ताकि मामलों की त्वरित पहचांन की जा सके और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों की मौत को रोका जा सके।

vi. परीक्षण तंत्र पर व्यापक महत्व दिया जाए ताकि आम जनमानस स्वयं का परीक्षण करा सके।

vii. इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल बेड का व्योरा एवं उनके रिक्ति का व्योरा आनलाइन उपलब्ध हो और मीडिया को भी दैनिक आधार पर इस उपलब्ध कराया जाए।

viii. समुदाय में विश्वास पैदा करने के लिए रेमिडिसीवर/टोसीलिजुमब आदि के उपयोग (जिसमें आक्सीजन,दवाओं, टीका एवं टीका करण केन्द्रों की उपलब्धता का विवरण भी सम्मिलित हो) से संबंधित दिशा–निर्देशों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए।

ix. समुदाय को पल्स आक्सीमीटर के सहायता से तापमान और आक्सीजन लेबल जैसे मापदण्डों की उचित निगरानी की व्यवहार्यता के बारे में जागरूक किया जाए।

x. कोविड उपयुक्त व्यवहार की आवश्यकता (प्रवर्तन के लिए बनाये गये नियमित कार्ययोजना सहित) को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए।

xi. बीमारी की प्रकृति को उजागर करते हुए समुदाय में एक विश्वास का निर्माण किया जाए और इस तथ्य को प्रसारित किया जाए कि त्वरित पहचान जल्द ठीक होने में मदद करता है और 98 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति कोविड–19 से संबंधित बीमारियों एवं डर को दूर करते हुए ठीक होते हैं।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा विभाग की ओर से जोनिंग गाइडलाईन्स जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।